दिनांक 8/9/15 को पेश हो।

8/9/15 पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ ने कार्य स्थगित रखने का निर्णय लिया है। पीठासीन अधिकारी अन्य न्यायालय कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1/10/15 को पेश हो।

1/10/15 वकील उभयपक्ष उपस्थित। मूलप्रकरण के साथ अभिवचन 10/11/15 को पेश हो।

10/11/15 आज पीठासीन अधिकारी सुनवाई में व्यस्त पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/12/15 को पेश हो।

3/12/15 आज पीठासीन अधिकारी प्र.कार्य में व्यस्त पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/12/15 को पेश हो।

15/12/15 आज पीठासीन अधिकारी सुनवाई में व्यस्त पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/12/15 को पेश हो।

15/12/15 आज पीठासीन अधिकारी प्र.कार्य में व्यस्त पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/3/16 को पेश हो।

7/3/16 आज पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/3/16 को पेश हो।

30/3/16 वकील उभयपक्ष उपस्थित। मूलप्रकरण के साथ दिनांक 6/5/16 को पेश हो।

6/5/16 वकील उभयपक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों के सुयोग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्षों ने बहस में दलील दी कि हम भूमि का बँटवारा नहीं कर रहे हैं। विवादास्पद भूमि के सम्बन्ध में मूलवाद के निर्णय तक यथास्थिति की ऐक रिकार्ड की बाबत रखी जाती है तो उन्हें आपत्ति में कोई आपत्ति नहीं है। बहस पश्चात विपक्षी ऐक रिकार्ड का अवलोकन किया। विवादास्पद भूमि चक 2L एस के मु.नं. 8 के 6.325 बी चक 15P एस सेकण्ड के मु.नं. 34 की 2.910 हैक्टेयर भूमि व 3.110 हैक्टेयर भूमि के रिकार्ड ऐक की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक रखी जाती है। पत्रावली नस्ती में लेकर मूलवाद के साथ रखा जावे। अपील सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर